Regarding alleged issues pertaining to religious conversion

श्री भोजराज नाग **(कांकेर) :** सभापति महोदया, आज मुझे पहली बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं छत्तीसगढ़ कांकेर लोक सभा क्षेत्र उत्तर बस्तर क्षेत्र से आता हूं । हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, वहां की जो सांस्कृतिक रीति-रिवाज और परम्परा है, वह दुनिया में प्रसिद्ध है । हमारे बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज और परम्परा है, वह खतरे में है, क्योंकि वहां अवैध रूप से अनेक धर्मांतरण के कार्य चल रहे हैं । उसके कारण वहां के जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, जैसे मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार और नामकरण संस्कार, उसको लेकर जाति समुदाय में आए दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं ।

एक ही पिता की दो संतानें हैं, जिनमें से एक ने धर्मांतरण कर लिया है । उसके कारण जो हमारा समाजिक रीति-रिवाज और ताना-बाना है, उस पर अनेक प्रभाव पड़ रहे हैं । इसलिए धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है ।

अनुच्छेद 341 में लिखा है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । उसी तरह से अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण करेगा, तो उसको आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।

माननीय सभापति **:** श्री रामभुआल निषाद ? उपस्थित नहीं ।

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा जी ।